

पंचम्

नवंबर 2019

पेज 1

पोर्टल के उपयोग से होगी अधिकार तक पहुंच

भोपाल। देश में पंचायत राज की स्थापना से स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया मजबूत हुई है और इससे गांव के शासन तथा विकास में लोगों की सहभागिता कायम हुई है। किन्तु जानकारी तक लोगों की पहुंच एक बड़ी चुनौती रही है। इसी चुनौती के चलते पंचायत राज व्यवस्था के अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ पाए। इस दिशा में पोर्टल की तकनीक क्रांतिकारी साबित हो सकती है, जिसके जरिये हम लोगों को जानकारी से जोड़ सकते हैं।

किन्तु पोर्टल के उपयोग की तकनीक का अभी लोकव्यापीकरण नहीं हुआ है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों के ज्यादातर लोग पोर्टल के उपयोग का तरीका नहीं जानते। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई युवक-युवतियों के पास स्मार्ट फोन उपलब्ध है। यदि इन युवक-युवतियों को पोर्टल के उपयोग का तरीका सिखा दें तो वे ग्रामवासियों को न सिर्फ सभी प्रकार की जानकारी दे सकेंगे, बल्कि उनकी समस्याओं को भी हल कर सकेंगे। इसी अवधारणा को जमीनी स्तर



पर उतारने की पहल समर्थन द्वारा की गई। संस्था द्वारा मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के कई जिलों में युवक-युवतियों को पोर्टल के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण पंचायत राज व्यवस्था और उससे संबंधित सरकारी विभागों के पोर्टल पर केन्द्रित था। इसमें ग्रामीण युवक-युवतियों को पोर्टल के उपयोग का तरीका यानी उसमें से अपनी ग्राम पंचायत की जानकारी प्राप्त करने, गांव में किन परिवारों और व्यक्तियों को किन योजनाओं का लाभ दिया

गया है तथा किन लोगों के नाम प्रतीक्षा सूची में है, आदि जानकारी प्राप्त करने का तरीका सिखाया गया। इससे पीएम आवास, मनरेगा आदि के क्रियान्वयन पर भी लोगों की निगरानी कायम हुई है। पोर्टल का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करने तथा जरूरतमंद एवं पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने वाला एक समूह पंचायतों में उभरकर सामने आया, जिसे पंचायत एक्शन टीम का नाम दिया गया। इस तरह स्थानीय स्वशासन को जमीनी स्तर पर स्थापित करने में पंचायत एक्शन टीम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

पंचायत एक्शन टीम ने सीखा पोर्टल के उपयोग का तरीका

पोर्टल के जरिये कायम की जा सकती है योजनाओं तक लोगों की पहुंच

ज्ञानेन्द्र तिवारी द्वारा

पन्ना। डिजीटल युग की ओर हमारा समाज बढ़ रहा है। शासन-प्रशासन द्वारा भी नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने में पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। पोर्टल पर सभी विभागों एवं ग्राम पंचायतों की जानकारी अपलोड है, लेकिन जानकारी और कौशल के अभाव में लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

ज्यादातर लोग, जिनके पास स्मार्ट फोन है, वे आसानी से पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। पोर्टल के उपयोग से लोगों के समय एवं पैसों की बचत भी हो सकती है। पोर्टल से किसी



भी योजना की जानकारी एवं पात्रता की श्रेणी भी जान सकते हैं। पोर्टल जानकारी का खजाना है। अतः पिछले दिनों समर्थन संस्था द्वारा क्लेड परियोजना एवं आईजीएसएसएस संस्था के माध्यम से ग्रामीण युवक-युवतियों को पोर्टल के उपयोग पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

पंचायत की जानकारी पहली बार देखी – इस दौरान कई प्रतिभागियों ने कहा कि इतनी आसानी से हम पंचायत का आय-व्यय देख सकते हैं, हमें पता ही नहीं था। पीएम आवास,

मनरेगा एवं पंचायत के हितग्राहियों की सूची एवं कार्य के बिल तक पोर्टल में देखने को मिले। लोगों ने कहा की पंचपरमेश्वर एप बहुत ही अच्छा है, इसमें ग्राम पंचायत के बिल भी देखने को मिलें। यही जानकारी पंचायत या विभाग से लेते तो हजारों रुपये खर्च करने पर भी नहीं मिलती। पंचायत जानकारी ही नहीं देती, लेकिन अब हम पोर्टल के माध्यम से सभी जानकारीयां प्राप्त कर सकते हैं।

पोर्टल की जानकारी लोकहित में होगी – प्रशिक्षण में समर्थन संस्था के राज्य समन्वयक एवं क्षेत्रीय समन्वयक राहुल निगम ने कहा की पंचायत पोर्टल एवं अन्य पोर्टल की जानकारी का उपयोग लोकहित में ही करना चाहिए। कोई अपनी बुराई एवं विवाद के बदले की भावना से न करे। इसकी जानकारी का उपयोग लोकहित में ही किया जाना चाहिए।

जानकारी मिलने पर उठे सवाल – इस दौरान ग्राम कुडार की महिलाओं ने मनरेगा के अंतर्गत ग्राम कोतवालीपुर में बने स्टापडेम के व्यय पर सवाल खड़े किये। उनका कहना था कि इतना पैसा खर्च ही नहीं हुआ। हम इसके बारे में पता लगाकर सचिव एवं सरपंच से बात करेंगे। ग्राम पंचायत कुडार द्वारा अहिरगवां ग्राम के वेंडर से सामग्री खरीदी गई है, यह भी हमारी समझ के बाहर है, जबकि पन्ना नजदीक है। इस तरह ग्रामीणों ने पोर्टल की जानकारी पर सवाल खड़े किए, लेकिन उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के साथ बैठकर चर्चा करके हम उसका पक्ष जान सकते हैं।

प्रशिक्षण में समर्थन एवं सीपा संस्था के ब्लॉक समन्वयक प्रदीप पिड़िहा, कूपर सिंह, चालीराज, धरमराज, और प्रीति जैन का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। प्रशिक्षण में 40 प्रतिभागियों ने पंचायतराज अधिनियम एवं पोर्टल की जानकारी एवं योजनाओं पर समझ बनाई। पंचायत एक्शन टीम अब ग्राम पंचायत के साथ मिलकर ग्राम पंचायत विकास योजना को लागू करने एवं पात्र लोगों की योजनाओं तक पहुंच बनाने में मदद करेगी।

रोलागांव के पंचों देखी पोर्टल पर हितग्राहियों की सूची

आनलाईन पोर्टल पर एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित

आष्टा। समुदाय को पोर्टल एवं आनलाईन प्रक्रिया की जानकारी देकर योजनाओं से जोड़ने का अभियान सीहोर जिले के आष्टा जनपद क्षेत्र के गांवों में सघन रूप से संचालित किया जा रहा है। इससे लोगों को ग्राम पंचायत के कार्यों और योजनाओं की जानकारी तो मिल ही रही है साथ ही उन्हें अपनी पात्रता के अनुसार योजनाओं का लाभ हासिल करने में भी मदद मिल रही है।



आनलाईन प्रक्रिया से लोगों को जोड़ने के लिए प्रशिक्षण एक जरूरी माध्यम हैं। अतः पिछले दिनों ग्राम रोलागांव में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन

किया गया। प्रशिक्षण में पंचों और गांव के सक्रिय युवाओं ने हिस्सेदारी की। प्रशिक्षण की शुरुआत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में आने वाली समस्याओं पर चर्चा से की गई। सहभागियों ने बताया कि पीएम आवास ए मन्रेगा ए कृषि यंत्र ए किसान सम्मान निधि जैसी कई योजनाएं संचालित हो रही हैं। लेकिन इन योजनाओं का लाभ हम कैसे प्राप्त करें इसकी जानकारी नहीं है। इस दौरान प्रशिक्षक संतोष कुमार ने अपने मोबाइल में गूगल एप्स से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी बताई। उन्होंने बताया कि इस गांव के किनकृकिन लोगों को इस योजना की पहली किश्त की 2000 रुपए की राशि प्राप्त हुई इससे सहभागियों को विश्वास हुआ कि आनलाईन प्रक्रिया ए पोर्टल तथा एप का उपयोग वे अपने गांव की जानकारी प्राप्त करने में लिए कर सकते हैं। ओरेकल समर्थन संस्था के जन सहायता सूचना केंद्र संचालक अरविंद सिंह द्वारा कृषि यंत्र के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करते हैं पाइप सेट पर कितनी सब्सिडी मिलती है ट्रैक्टर पर कितनी सब्सिडी मिलती है आदि जानकारी दी गई। यह भी बताया गया कि इस योजना में आवेदन के लिए 6 नवंबर तक ऑनलाइन पोर्टल खुला

हुआ है। इस पर किसान पाइप एवं सीड ड्रिल के लिए आवेदन कर सकते हैं। हितग्राहियों का चयन लाटरी ड्रा द्वारा होगा।

पेज 2

जानकारी

खेत तालाब निर्माण हेतु शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश

भोपाल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में आजीविका पर केन्द्रित कार्य भी शामिल हैं। यानी लोगों को रोजगार भी मिले और ऐसी संरचनाओं का निर्माण भी होए जिससे लोगों की आजीविका एवं आय के साधन बेहतर हो सके। अतः 31 मई को मध्यप्रदेश शासन के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा के अंतर्गत खेत तालाब निर्माण हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए।



शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार खेत तालाब के तीन मानक डजाईन तय किए गए हैं जिनका आकार क्रमशः 400 घन मीटर, 1000 घन मीटर एवं 3600 घन मीटर तय किया गया है। खेत तालाब के आकार में मौके की स्थिति के अनुसार तब्दीली की जा सकती है किन्तु इस बात का ध्यान रखना जरूरी है की खेत तालाब की जलग्रहण क्षमता 400 घनमीटर से कम न हो।

आदेश में कहा गया है कि खेत तालाब हेतु चयनित हितग्राही की भूमि पर कार्य स्वीकृति से पहले इस बात का ध्यान रखा जाए कि खेत तालाब के निर्माण हेतु स्थल का चयन खेत के उस हिस्से में किया जाए जहां पानी के प्राकृतिक बहाव के कारण अधिक से अधिक पानी इकट्ठा हो

सकें। स्थान का चयन करते समय यह भी देखना होगा कि पूरी क्षमता तक खेत तालाब में जल संग्रहण हेतु इसके अपस्ट्रीम में पर्याप्त कैचमेंट उपलब्ध हो।

खेत तालाब को खोदे जाने पर उसके बाजू की ढलान की मिट्टी का कटाव 1:1 में किया जाए ताकि बरसात के समय ढलान की मिट्टी कट कर या बहकर तालाब में वापस न भर जाए। खेत तालाब को खोदे जाने के बाद उससे निकाली गई मिट्टी किनारों से लगभग 1 मीटर दूर जमाकर पाल बनाई जाए। इस पाल पर पौधे एवं घास उगाई जाए ताकि मिट्टी की पकड़ मजबूत हो सके।

शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार खेत तालाब के प्रस्ताव की तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति आनलाईन दी जाएगी। प्रस्ताव उपयंत्री द्वारा तैयार किया जाएगा। तकनीकी स्वीकृति सहायक यंत्री और प्रशासकीय स्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा दी जाएगी। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालक व सहायक इंजीनियर तथा उपयंत्री निर्माण कार्य के तकनीकी पहलुओं और गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखेंगे। उपयंत्री सतत तकनीकी मार्गदर्शन देंगे और नियत साप्ताहिक मजदूरी दिवस के पूर्व के दिन माप लेकर माप पुस्तिका में दर्ज करेंगे एवं मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी किया जाएगा। ग्राम रोजगार सहायक द्वारा मजदूरी भुगतान हेतु मजदूरों की सूची तैयार की जाएगी और सामग्री खपत के बिलों की प्रविष्टि की जाएगी।

इस आदेश के अनुसार एक वर्ष में कार्य पूरा करना होगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत का यह दायित्व होगा कि वे समय पर मस्टर रोल जनरेट करें सामग्री मद में अग्रिम एवं साप्ताहिक मजदूरी का समय सीमा में भुगतान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होना सुनिश्चित करें। सहायक यंत्री द्वारा कार्य का निरीक्षण किया जाएगा एवं माह में एक बार माप व मूल्यांकन का सत्यापन किया जाएगा। कार्य पूर्ण होने के बाद एक माह में अपने लॉगिन पासवर्ड से नरेगा साफ्ट में पूर्णता प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

ग्राम संगठन से मजबूत होगा स्वशासन

ग्राम संगठन प्रतिनिधियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित

वासुदेव अकोले द्वारा

ओझर (राजपुर)। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने तथा गांव के शासन और विकास के फैसलों में ग्रामवासियों की सक्रिय भूमिका कायम करने में ग्राम संगठन का विशेष महत्व है। इसके जरिये लोग न सिर्फ पंचायत के फैसलों पर चर्चा करते हैं बल्कि मिलकर फैसले लेने और उन फैसलों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया अपनाते हैं। बड़वानी जिले के राजपुर जनपद क्षेत्र में सचेत परियोजना के अंतर्गत समर्थन द्वारा स्वशासन की प्रक्रिया को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्राम संगठन का निर्माण किया जा रहा है। इन संगठनों में गांव की दीदियां शामिल हैं।

पिछले दिनों ग्राम संगठन के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में ग्राम सभा की शक्तियों पर चर्चा करते हुए उसमें महिलाओं की भागीदारी के महत्व के बारे में बताया गया। प्रशिक्षक श्री पंकज पाण्डे ने बताया कि एक मजबूत ग्राम संगठन के लिए यह जरूरी है कि उसमें शामिल महिलाएं एक-दूसरे को जाने और मिलकर गांव के मुद्दों की पहचान करें। इससे वे



ग्रामसभा में अपने मुद्दे ज्यादा बेहतर तरीके से उठा सकती है तथा उनके मुद्दों पर ग्रामसभा में सभी की सहमति से फैसला हो सकता है। यह भी बताया गया कि किसी भी फैसले के बाद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी उस फैसले का क्रियान्वयन है। यह देखा गया है कि ग्रामसभा में फैसले के

बाद लम्बे समय तक उस पर काम नहीं हो पाता। इसलिए यह भी जरूरी है कि ग्रामसभा द्वारा फैसले लेने के बाद उनके क्रियान्वयन पर भी लगातार निगरानी रखी जाए और उसके बारे में ग्राम पंचायत के सचिव एवं सरपंच से बातचीत की जाए।

इस प्रशिक्षण की खास बात यह है कि इसमें पंचायत राज की तकनीकी अवधारणों तथा सिद्धान्तों को सरल एवं रोचक विधियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें सांपकृसीढ़ी का खेल एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा। इसके जरिये पंचायत राज को समझने में आसानी हुई।

खास बातें

- प्रशिक्षण में ग्रामसभा की शक्तियों पर चर्चा करते हुए उसमें महिलाओं की भागीदारी के महत्व पर चर्चा हुई।
- मजबूत ग्राम संगठन के लिए यह जरूरी है कि उसमें शामिल महिलाएं एक-दूसरे को जाने और मिलकर गांव के मुद्दों की पहचान करें।
- गांव के मुद्दों पर ग्रामसभा में सभी की सहमति से फैसला हो। यह भी बताया गया कि किसी भी फैसले के बाद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी उस फैसले का क्रियान्वयन है।
- ग्रामसभा द्वारा फैसला लेने के बाद उसके क्रियान्वयन पर भी लगातार निगरानी रखी जाए और उसके बारे में ग्राम पंचायत के सचिव एवं सरपंच से बातचीत की जाए।
- पंचायत राज की तकनीकी अवधारणों तथा सिद्धान्तों को सरल एवं रोचक विधियों द्वारा प्रस्तुत किया गया।

सुमित्रा की सक्रियता से हासिल हुआ हक

सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई के जरिये सुमित्रा ने हासिल किए मजदूरी के पन्द्रह हजार रुपए

टीकमगढ़। यह देखा गया है कि सरकारी कामकाज और योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही होने पर ज्यादातर लोग चुप रहते हैं और कोई कार्यवाही नहीं करते। इससे उन्हें अपने अधिकार और न्याय से वंचित रहना पड़ता है। जबकि जो लोग कार्यवाही करते हैं उन्हें उनका हक हासिल हो जाता है। यह बात जिले के ग्राम पराखास की सुमित्राबाई अहिरवार ने साबित की है। उन्होंने पीएम आवास पर मजदूरी का काम किया था। किन्तु उन्हें मजदूरी नहीं मिली थी। पहले तो उन्होंने सरपंच एवं सचिव से मजदूरी की गुहार लगाई, किन्तु उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। किन्तु सुमित्राबाई ने हार नहीं मानी, आगे कार्यवाही करने का मन बनाया।

पीएम आवास की मजदूरी नहीं मिलने की शिकायत सुमित्रा ने 28 फरवरी 2019 को सीएम हेल्प लाइन पर की थी। किन्तु कुछ दिनों के बाद उनकी शिकायत नस्तीबद्ध करके बंद कर दी गई। इस दशा में उन्होंने 8 मार्च को फिर से शिकायत की, लेकिन फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने तीसरी बार 12 जून को फिर शिकायत की। इस बार में उनकी शिकायत बंद करके नस्तीबद्ध कर दी गई। इस तरह जब तीनों बार उनकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उन्होंने जनसुनवाई में जिला कलेक्टर के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाने का तय किया। सुमित्राबाई ने 18 जून को टीकमगढ़ के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर वहां अपनी शिकायत दर्ज करवाई। कलेक्टर ने जिला पंचायत के सीईओ को जांच के आदेश दिए। एक सप्ताह बाद यानी 29 जून को सुमित्राबाई को जिला पंचायत कार्यालय बुलाकर जांच का पूरा ब्यौरा बताया गया और उनकी मजदूरी के 15000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए गए।

इस तरह सुमित्राबाई की सक्रियता यह बताती है कि यदि लगातार प्रयास किए जाएं तो हर समस्या को हल किया जा सकता है, बस सही प्रक्रिया अपनाने और उचित कार्यवाही करने की जरूरत होती है।

बदलाव की बयार

हमारे आसपास सिर्फ समस्याएं ही नहीं हैं, बल्कि उसके समाधान के सफल प्रयास भी मौजूद हैं। इन प्रयासों से बदलाव की प्रक्रिया कायम हुई है। इन प्रयासों को बारीकी से देखने, समझने और उनकी प्रक्रियाओं को जानने की जरूरत है। ताकि बदलाव के इन प्रयासों से लोग सीख हासिल कर सकें और अपने गांव एवं पंचायत में उसे लागू कर सकें। पंचम के माध्यम से हम बदलाव की इसी बयार को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कॉलम में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों, विभिन्न समूह संगठनों, समुदाय एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे बदलावकारी कार्यों पर केन्द्रित रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। यदि आपके आसपास भी ऐसे कोई कार्य संचालित हो रहे हो तो उसकी रिपोर्ट हमें जरूर भेजें।

ग्रामवासियों के योगदान से बनी सड़क

वासुदेव अकोले द्वारा

राजपुर। समस्याओं के समाधान के लिए सिर्फ सरकार और प्रशासन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्थानीय स्वाशासन में कई समस्याएं लोग स्वयं हल कर सकते हैं। इन्हें हल करने में यदि ग्रामवासी अपना योगदान दें तो वे जल्दी और बेहतर तरीके से हल की जा सकती हैं। ग्राम घुसगांव लोगों ने यह कर दिखाया। इससे उन्हें गांव के कीचड़ भरे रास्ते पर सड़क बनाने में मदद मिली।



उल्लेखनीय है कि यहां सचेत परियोजना के अंतर्गत समर्थन द्वारा ग्राम पंचायत के पंच-सरपंच एवं स्थाई समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया तथा स्थानीय स्वाशासन में भागीदारी का महत्व बताया गया। इस प्रक्रिया यह परिणाम हुआ कि लोगों ने गांव की समस्या पर गहराई से विचार करना शुरू किया। यहां रास्ते की समस्या सबसे बड़ी और गंभीर थी। गांव के पटेलपुरा और ढाटापुरा जाने वाला रास्ता इतना खराब था कि उस पर चलना मुश्किल हो रहा था। अतः 29 सितम्बर को ग्रामवासियों ने बैठक कर तय किया कि वे आपसी सहयोग से इस सड़क का निर्माण करेंगे। इस निर्णय के बाद प्रत्येक घर

से पचास-पचास रूपए योगदान के रूप में इकट्ठे किए गए। लोगों के इस योगदान को देखते हुए ग्राम पंचायत ने भी इसमें राशि मिलाने की घोषणा की। इस तरह गांव में सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। इस काम में उपसरपंच मनीष जायसवाल, पंच सुरेश जायसवाल, गुलाब भाई, प्रताप भाई, मगनभाई, बदलाभाई ने सक्रिय भूमिका निभाई।

ग्रामवासियों के प्रयास से बाजड़ में लगी स्ट्रीट लाईट

राजपुर (वासुदेव अकोले द्वारा)। सितम्बर महीने की 22 तारीख को बाजड़ के ग्रामवासियों द्वारा स्वशासन की एक नई इबारत लिखी गई।

इस दिन लोगों के योगदान से अंधेरे में डूबा गांव रोषनी से जगमगा गया। यहां स्ट्रीट लाईन नहीं होने से लोगों को रात्रि में घर से बाहर निकलने में दिक्कत होती थीं। गांव में हमेशा अंधेरा रहता था। लोगों द्वारा स्ट्रीट लाईट की मांग किए जाने के बावजूद जब गांव में स्ट्रीट लाईट नहीं लगी तो ग्रामवासियों ने स्वयं इसके लिए प्रयास शुरू किए। लोगों ने स्ट्रीट लाईट



के खंबों के लिए 8000 रूपए एकत्र किए तथा बाकी 15300 रूपए की राशि ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की गई। इसतरह कुल 23300 रूपए की राशि जमा कर स्ट्रीट लाईट लगवाने में सफलता हासिल की। ग्रामवासियों के इस कदम से आसपास के अन्य गांवों को प्रेरणा मिली, वहीं इससे बाजड़ गांव के लोगों में यह विष्वास कायम हुआ कि वे अपने सक्रिय प्रयासों से गांव की समस्याएं हल कर सकते हैं।

इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए ग्रामवासियों ने गांव में सफाई अभियान संचालित किया। इसके अंतर्गत लोगों ने मिलकर गांव के हर मोहल्ले की सफाई की। इसमें ग्राम संगठन की दीदियों, सचेत दीदियों एवं शिक्षा जागृति समिति के सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई।

बदलाव की पहचान बने सिहोदा पंचायत के परसराम

संजय राजपूत

संकाय सदस्य, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर

जिला पंचायत जबलपुर की ग्राम पंचायत सिहोदा आज कई मायनों में ग्रामीण विकास और पंचायत राज व्यवस्था में अग्रणी है। ग्राम पंचायत को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाने में गांव के ही युवक श्री परसराम पटेल का योगदान सराहनीय है। आईये जानते हैं श्री परसराम पटेल के प्रयत्नों की सार्थकता की कहानी, उन्हीं की जुबानी

जबलपुर। प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थल भेड़ाघाट के पास ही है ग्राम पंचायत सिहोदा। सिहोदा गांव वर्ष 2000 तक भेड़ाघाट ग्राम पंचायत का आश्रित गांव था। इसके बाद सिहोदा को ग्राम पंचायत बनाया गया। यहां ग्राम पंचायत पदाधिकारियों का निर्वाचन होना था। सभी गांव वालों ने विचार किया कि हम लोग अपनी ग्राम पंचायत को निर्विरोध निर्वाचित करेंगे। अतः वर्ष 2000-2005 में इस ग्राम पंचायत के सरपंच और सभी वार्ड के पंचों का चुनाव आपसी सहमति से किया गया।



यहां के परसराम पटेल कहते हैं कि “मैं सिहोदा गांव का साधारण सा किसान हूं। मुझे अपने वार्ड के लोगों ने पंच के रूप में चुना और मुझे अपनी ग्राम पंचायत में उपसरपंच का दायित्व दिया। मैंने अपने सरपंच और सभी पंचों के साथ मिल कर आपसी सहमति और सभी की सहभागिता से गांव के विकास का काम प्रारंभ किया। हमारी ग्राम पंचायत नई बनी थीं। सबसे पहले तो हमने ग्राम पंचायत भवन बनवाया। इसके बाद ग्रामवासियों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए हमने संबंधित विभागों से सम्पर्क किया।

हमारे गांव में ज्यादातर लोग खेती-बाड़ी का काम करते हैं। लोगों के पास मवेशी भी हैं। बहुत से परिवारों में गाय, बैल, भैंस पाली जाती है, जिनका गोबर फालतू ही चला जाता था। हमने

ऊर्जा विकास निगम से सम्पर्क किया और जानकारी ली कि हम इन्हें किन योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं? ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों की सलाह पर गांव में बायोगैस लगवाकर घरेलू गोबर गैस का उपयोग शुरू करवाया। इससे हमारे यहां पर गोबर का सही उपयोग होने लगा। इसके साथ ही हमने बर्मी पिट के माध्यम से कम्पोस्ट खाद बनाना प्रारंभ किया गया। अब हमें बर्मी कम्पोस्ट खाद मिलने लगी, जिसे हम अपने खेतों में डालने लगे और हमारे खेत से उपज भी पहले की तुलना में ज्यादा मिलने लगी। गांव का पानी गांव में रहे, इसके लिए हमने सोकपिट तकनीक को अपनाया। सोकपिट के माध्यम से जलसंचयन होने लगा और गांव के जलस्रोतों के जलस्तर में बहुत सुधार हुआ। बायोगैस, बर्मी कम्पोस्ट, सोकपिट गतिविधियों से हमें बहुत सुविधा मिलने लगी। हमारे गांव में अधिकांश लोगों ने इन तकनीकों के सहारे अपने आप को अच्छे से संभाल लिया था। हमारे प्रयासों के परिणाम अच्छे मिल रहे थे। हमारी सफलता की गूंज जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर पहुंची और हमें 15 अगस्त 2003 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया।

इसके बाद हमारी पंचायत का कार्यकाल पूर्ण हो गया। हम ग्राम पंचायत में वर्ष 2005–2009 के लिए फिर निर्वाचन हुए, किन्तु उसी समय पंचायतराज अधिनियम में प्रावधान किया गया कि जिन के तीन या उससे अधिक बच्चे हो वे पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पायेंगे। मैं तो सीधा चुनाव नहीं लड़ पाया, किन्तु समाज सेवा का जब्बा दिल में लिये हुये अपनी पंचायत की सेवा में लगा रहा। इसके बाद वर्ष 2009–10 में मैं ग्राम पंचायत सरपंच के रूप में निर्वाचित हुआ।

हमारी ग्राम पंचायत में पहले से खेती-बाड़ी, जल संचयन, वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग आदि से संबंधित गतिविधियां चल ही रहीं थी। अब हम लोगों ने स्व-सहायता समूहों के गठन और उन्हें मजबूत करने के प्रयास प्रारंभ कर दिये थे। हमारी ग्राम पंचायत में 18 स्व-सहायता समूहों की 250 सदस्यों को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उन्हें स्व-रोजगार से जोड़ा गया। स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को बकरीपालन, गौपालन, मछलीपालन, बर्मी कम्पोस्ट उत्पादन, झाड़ू बनाना, सब्जी उत्पादन, चावल मिल, दलिया मिल इत्यादि आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा गया।

हमारी ग्राम पंचायत को वर्ष 2011–12 में निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया। गांव की साफ-सफाई के लिए ग्रामवासियों के सहयोग से हमने बहुत सी गतिविधियां प्रारंभ की। अब हमारी ग्राम पंचायत में समग्रता में विकास कार्य चल रहे थे। परिवार के प्रत्येक सदस्यों को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिये हमारी ग्राम पंचायत विकास के नये-नये मापदण्ड स्थापित करने जा रही थी। हमारी ग्राम पंचायत में स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, छुआछूत मिटाने के प्रयास किये गये। जिला स्तर पर स्वच्छ ग्राम पंचायत के

रूप में चुना गया। अब हमारे गांव की साफ-सफाई और विभिन्न गतिविधियों को देखने के लिए जिले, प्रदेश के साथ ही साथ अन्य राज्यों से भी लोग आने लगे। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान आने वाले लोग हमारे गांव के लोगों से भी बात-चीत करते। इससे हमारे ग्रामवासियों का भी हौसला बढ़ा।

वर्ष 2014-15 में हमारी ग्राम पंचायत में स्वच्छता के लिए किये गये प्रयासों के कारण जिला प्रशासन जबलपुर द्वारा मुझे “स्वच्छता हेतु ब्रांड एम्बेसडर” चुना गया। अब मैं अपनी ग्राम पंचायत के साथ ही साथ अन्य, जिलों, राज्यों में भी जाकर अपनी ग्राम पंचायत में किये गये साफ-सफाई के कार्यों से संबंधित अनुभवों पर चर्चा करने लगा था। जिला पंचायत जबलपुर, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्था जबलपुर, प्रशासन अकादमी भोपाल, जल एवं भू प्रबंधन संस्थान भोपाल, अन्य राष्ट्रीय संस्थानों में स्वच्छता, ग्रामीण विकास, ग्राम पंचायत विकास योजना, जलसंरक्षण – जलसंवर्धन, आधुनिक कृषि, जैव-विविधता, पंचायतराज व्यवस्था आदि विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किए। मुझे इन विषयों पर मास्टर रिसोर्स पर्सन भी बनाया गया।

वर्ष 2015 में हमारी ग्राम पंचायत में महिला सरपंच निर्वाचित हुई हैं। हम सभी ग्रामवासी मिलकर ग्राम पंचायत के कार्यों को सफल बनाने का प्रयास करते रहे। हमारी ग्राम पंचायत में विकास की रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई है। हमारा लक्ष्य ग्राम पंचायत सिहोदा को स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाना है। ग्राम पंचायत सिहोदा में शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का कन्वरजेंस करके हितग्राहीमूलक और सामुदायिक कार्य करवाये जा रहे हैं। ग्राम पंचायत में भौतिक एवं मानव संसाधन का प्रबंधन बहुत अच्छे से किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत सिहोदा की प्रमुख उपलब्धियां

- इस ग्राम पंचायत को वर्ष 2017-18 में खुले से शौचमुक्त घोषित किया गया। ग्राम पंचायत के सभी घरों में व्यक्तिगत शौचालय बनाए गये हैं और सभी लोग इन शौचालयों का उपयोग भी करते हैं।
- गांव में स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियान चलाये गये। डोर टू डोर कचरा एकत्रित करके गांव के बाहर उनके निपटान का कार्य प्रतिदिन किया जाता है।
- इस ग्राम पंचायत को वर्ष 2018-19 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय – सशक्त ग्राम पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है।
- पंच परमेश्वर एवं 14वें वित्त आयोग की राशि से गांव की सभी सड़कें, सीमेन्ट कांक्रीट रोड़ बनावा दी गई हैं, जिससे ग्रामीणजनों को आवागमन में सहूलियत हो गई है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जिन ग्रामवासियों के कच्चे मकान थे, उनके पक्के आवास बनवा दिये गये हैं।

- उज्जवला योजना के अंतर्गत गांव कई परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान किए गए।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, जन-धन योजना, मुद्रा योजना का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को दिया गया है।
- दस्तक योजना में कुपोषण से मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है।
- ग्रामवासियों के घरों एवं खेतों की मेड़ पर हर साल फलदार वृक्ष रोपित किये जाते हैं। इससे जहां एक ओर लोगों को वृक्षों से कई तरह के लाभ मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मिट्टी का कटाव भी रुक रहा है। भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण के लिए गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

जानकारी और सक्रियता से हो सकते हैं सपने साकार

अतिथि शिक्षक के पद से हटाए जाने के बाद फिर से नियुक्त हुए इन्द्रपुर के सुनील

प्रवेश वर्मा द्वारा

बड़वानी। कई बार जानकारी के अभाव में लोग अपने अधिकार से वंचित हो जाते हैं और वे अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। अतः जानकारी के साथ ही उसके उपयोग करने की सक्रियता भी जरूरी है। इस संबंध में जिले के राजपुर जनपद क्षेत्र के ग्राम इन्द्रपुर के सुनील सोलंकी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। सुनील दिव्यांग है तथा बेरोजगारी का सामना कर रहे थे। भूमिहीन होने के साथ ही उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। किन्तु सुनील ने हायर सेकेण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की थी। बेरोजगारी के कारण वह बहुत परेशान थे। किन्तु इसी बीच गांव के स्कूल में अतिथि शिक्षक के पद पर उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया और उन्हें स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मिल गई। इससे वह बहुत खुष थे और अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छी तरह संभाल रहे थे। उनकी मेहनत के कारण बच्चे भी बहुत खुष थे और उनकी पढ़ाई का स्तर सुधर रहा था।

किन्तु सुनील की यह खुषी लम्बे समय तक नहीं रही। कुछ ही महीनों बाद उन्हें यह कहकर अतिथि शिक्षक के पद से हटा दिया कि वे बीएड. या डीएड तक शिक्षा प्राप्त नहीं

है। इस पद से हटाए जाने के बाद सुनील बहुत परेशान हो गए थे। इससे न सिर्फ उन्हें उनकी रुचि का काम छूट गया था, बल्कि उनके सामने बेरोजगारी की समस्या की खड़ी हो गई थी। आय का कोई और साधन नहीं होने से वह आर्थिक रूप से बहुत परेशान थे।

इस बीच उनकी मुलाकात सचेत परियोजना में सक्रिय समर्थन के कार्यकर्ता प्रवेश वर्मा से हुई। प्रवेश वर्मा से चर्चा करने पर उन्हें यह जानकारी मिली कि अतिथि शिक्षक के लिए बी.एड. व डीएड. जरूरी नहीं है, किन्तु यदि यह शिक्षा प्राप्त कोई कैंडिडेट हो तो उसे नियुक्ति में प्राथमिकता देने का नियम है। अतः उन्हें जानकारी दी गई कि वे ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में जाकर सरपंच एवं पंचों के समक्ष अपनी बात रखें और ग्राम पंचायत द्वारा अपने लिए पैरवी करने का आग्रह करें। इसी सलाह के मुताबिक सुनील ने ग्राम पंचायत में पहुंचकर सरपंच एवं पंचों को अपनी समस्या बताई। इस पर सरपंच एवं पंचों ने निर्णय लिया कि वे राजपुर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से इस बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद वे राजपुर ब्लॉक अधिकारी के पास गये व उनसे सुनील सोलंकी की अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति के बारे में बातचीत की। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि आप एक आवेदन दे दीजिये, हम उस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे। इस सक्रियता का यह परिणाम हुआ कि पन्द्रह दिनों के अंदर की सुनील को फिर से अतिथि शिक्षक नियुक्त कर दिया गया। इस तरह जानकारी, सक्रियता और पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा की गई पैरवी से सुनील को अपने सपने साकार करने का अवसर मिला।

गांव लिजवाना खुर्द में बच्चों के लिए मुफ्त ट्यूशन और पुस्तकालय की शुरुआत

लिजवाना। इस हलके के गांव लिजवाना खुर्द ने ग्राम पंचायत और युवा शक्ति लजवाना खुर्द के सहयोग से पंचायत भवन में बच्चों के लिए मुफ्त ट्यूशन और पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाना व पुस्तकालय का प्रारंभ इसी साल जून में किया गया था। बच्चों की सुविधा के लिए पुस्तकालय में 1500 से भी अधिक



पुस्तक हैं। दोपहर बाद तीन बजे से लेकर शाम छह बजे तक विद्यार्थियों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाई है जिसमें पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। गांव में पुस्तकालय को शुरू कराने में विशेष सहयोगी के रूप में सुरेंद्र लाठर ने भूमिका निभाई और इसके साथ ही डॉ. सुरेश अहलावत ने पुस्तकालय को एयर कंडिशनर उपलब्ध करवाया। इससे सभी बच्चे गर्मी के समय में भी नियमित रूप से पढ़ाई कर सकें।

गांव में रहने वाले जरूरतमंद विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मुफ्त ट्यूशन की शुरुआत की गई। गांव में ऐसे कई अभिभावक हैं जिनके बच्चों को पढ़ने लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है और रुपये देकर ट्यूशन पढ़ते हैं। बच्चों का ध्यान रखते हुए गांव की चौपाल में ही मुफ्त ट्यूशन की व्यवस्था की गई। इससे विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ने के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

- सतबीर सिंह अहलावतए सरपंचए लिजवाना खुर्द।

गतिविधियां

बालिकाओं को एनीमिया से मुक्त करने की पहल

श्याम श्रीवास्तव द्वारा

छतरपुर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जिले में 11 अक्टूबर को विभिन्न गतिविधियों का आयोजन हुआ। उल्लेखनीय है कि साल 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल



चाइल्ड^३ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस^३ मनाया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत यूनाइटेड नेशन ने 2012 में की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसके लिए महिलाओं की स्थिति^३ हेतु 19 दिसम्बर^४ 2011 को प्रस्ताव पारित किया था। सर्वप्रथम 11 अक्टूबर^५ 2012 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया।

इस दिन को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य था लड़कियों के विकास के लिए अवसरों को बढ़ाना और लड़कियों की दुनियाभर में कम होती संख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना^६ जिससे कि लिंग असमानता को खत्म किया जा सके। दुनियाभर के लोगों को जागरूक करना है की समाज में जितना हक और अधिकार एक पुरुष या लड़के को मिलते हैं उतने की हकदार लड़कियां या महिला भी है और पुरुष प्रधान समाज को लड़कियों को उनके अधिकार और उन्हें बराबर का दर्जा दिलाया जा सके। बालिका दिवस को बढ़ावा देने के लिए इस दिन अलग-अलग देशों में कई तरह के आयोजन भी किए जाते हैं^७ जिसके अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा^८ पोषण^९ उनके कानूनी अधिकार^{१०} चिकित्सा देखभाल के प्रति उन्हें और समाजजनों को जागरूक किया जाता है। लड़कियों को सुरक्षा मुहैया कराना^{११} उनके प्रति भेदभाव व हिंसा खत्म करना। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना भी इस दिन को मनाने के कारणों में शामिल है।

छतरपुर जिले में संचालित एकीकृत जिला परियोजना के अंतर्गत 20 मॉडल गांवों में समर्थन के समन्वयकों के सहयोग से बालिका दिवस मनाया गया^{१२} कार्यक्रम के उद्देश्यों पर चर्चा की गई।

उल्लेखनीय है कि बालिकाओं में एनीमिया यानी खूनी की कमी एक बड़ी समस्या है तथा इससे बालिकाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो कम होती ही है^{१३} साथ ही उन्हें कई बीमारियां भी हो जाती है। अतः बालिका दिवस पर यह चर्चा की गई कि एनीमिया क्या है और यह क्यों होता है^{१४} एनीमिया के क्या लक्षण हैं^{१५} इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं^{१६} साथ ही एनीमिया की रोकथाम के उपायों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर 20 गांवों की 20 गावों में बालिकाओं की हीमोग्लोबिन की जांच की गई। जांच के बाद 1.9 ग्राम हीमाग्लोबिन वाली बालिकाओं को श्रेणी 3 में रखा गया तथा 9^{१७} से 11^{१८} ग्राम हीमाग्लो बिन वाली बालिकाओं को श्रेणी 2 में रखा गया और 12 या इससे अधिक ग्राम हीमाग्लोमबिन वाली बालिकाओं को श्रेणी 1 में रखा गया।

श्रेणी 1 की बालिकाओं को मिस हीमाग्लोबिन घोषित किया गया एवं स्थानीय स्तर पर सरपंच/पंच/या गांव के किसी अन्यी व्यक्ति द्वारा पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया।

इन बालिकाओं को मेटर्स के रूप में चिन्हित किया गया। उनको यह समझाया गया कि अन्य बालिकाओं को श्रेणी 1 तक लाने हेतु कैसे उनकी मेटरिंग करना। यह भी बताया गया कि दिसम्बर माह में पुन जांच की जायेगी जो बालिकायें श्रेणी 1 में आएंगी उन्हें पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार श्रेणी 1 की बालिकाओं द्वारा श्रेणी 2 एवं 3 को श्रेणी 1 में लाने हेतु लगातार मेटरिंग की जायेगी उन्हें श्रेणी 1 में लाने का प्रयास किया जायेगा।

इसके साथ ही बाल विवाह, लिंग आधारित हिंसा, लिंग भेद, एनीमिया, पोषण, बालिका शिक्षा क्यों जरूरी आदि किसी भी एक मुद्दों पर निबंध/ बादविवाद/ गीत/ मेंहदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया।

कार्यक्रम में एएनएम, परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास विभाग, सरपंच/पंच मुख्य रूप से महिला सरपंचों/पंचों की सहभागिता रही जिनके द्वारा पुरस्कार वितरित किये गये। बहुउद्देश्यी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी, शिक्षक, समुदाय की महिलायें/पुरुष साथिया सिनेमा के समन्वयक आदि की उपस्थिति रही।

आशा कार्यकर्ताओं के लिए बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ प्रशिक्षण आयोजित

छतरपुर जिले में 1000 पुरुषों के बदले औसतन 884 महिलाएं

छतरपुर। बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए जिले के बकस्वाहा में पिछले दिनों आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण यूएनएफपीए के सहयोग से समर्थन संस्था द्वारा संचालित एकीकृत परियोजना के अंतर्गत आयोजित किया गया। इसमें परियोजना क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

कार्यशाला में खंडचिकित्सा अधिकारी केपी बम्होरिया, खंडविस्तार प्रशिक्षक विक्रम खत्री



उपस्थित रहे। बालिकाओं की स्थिति तथा लिंगानुपात पर चर्चा करते हुए खंड चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि यद्यपि कई क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति धर्म एवं शिक्षा व स्वास्थ्य दर में सुधार हुआ है फिर भी बालिकाओं के प्रति पुरानी परंपराओं और रीति-रिवाजों का प्रचलन देश के अधिकांश हिस्सों में आज भी मौजूद है। इससे हाल के वर्षों में हुई प्रगति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

विक्रम खत्री ने बताया कि हमारे समाज की सबसे बड़ी सबसे विडंबना यह है कि बालिका को उत्तर जीविका का अधिकार नहीं दिया जाता है। यह एक चिंता का विषय है हमारे देश के कई भागों में जेंडर आधारित लिंग चयन समापन अब तक जारी है। गिरते बाल लिंग अनुपात की समस्या पृथक नहीं है। क्योंकि इससे महिलाओं और बालिकाओं की स्थिति में गिरावट का संकेत मिलता है।

सर्वे के अनुसार छतरपुर जिले में 1000 पुरुषों के बदले औसतन 884 महिलाएं हैं^ए अर्थात् स्थिति और भी चिंतनीय एवं सोचनीय है। कार्यकर्ता तुलसीदास कुशवाहा ने समाज में बेटियों की घटती हुई संख्या पर चर्चा करते हुए बताया कि सामाजिक बुराइयां जैसे रीति ए रिवाज दहेज एवं जेंडर आधारित पक्षपातपूर्ण लिंग चयन^ए बालिका शिशु हत्या^ए वंश चलाना पितृसत्तात्मक संरचना वृद्धावस्था में सुरक्षा आदि के कारण महिलाओं की संख्या घटती जा रही है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण

प्रशिक्षण में लिंग आधारित हिंसा बालिका शिक्षा^ए जेंडर पोषण^ए पीसीपीएनडीटी अधिनियम व घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बेटों बचाओ बेटों पढ़ाओ कार्यक्रम को सफल बनाने आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी जानकारी दी गई। इसमें यह बात प्रमुखता से सामने आई कि लोगों को बेटियों के प्रति सोच बदलने की आवश्यकता है।

पंचायत को बाल हितैषी बनाने की पहल

राजपुर। ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों में की कड़ी में मानव विकास के काम भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। समाज में वंचित तबकों महिलाओं और बच्चों के हितों में किए जाने वाले काम इसी श्रेणी में आते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि वयस्कों के लिए तो ग्राम पंचायत कुछ काम करती हैं किन्तु बच्चों के हितों में काम करने वाले पंचायतों की संख्या ज्यादा नहीं है। अतः ग्राम पंचायत को बालहितैषी होना जरूरी है ताकि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खेलकूद आदि का अवसर बच्चों को मिल सकें। अतः पिछले दिनों ग्राम पंचायत नंदगांव में बालहितैषी ग्राम पंचायत विकास योजना को लेकर बच्चों के साथ गतिविधि का आयोजन किया गया। इस गतिविधि में सात गांव के बच्चों ने भाग लिया। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य यह था कि बच्चों के द्वारा अपने सपनों का गांव कैसा होना चाहिये, गांव में बच्चों के क्या-क्या मुद्दे हो सकते हैं, इस दौरान सामुहिक गतिविधियां भी की गईं। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के मुद्दों को पहचानने का प्रयास किया गया। खास बात यह थी कि बच्चों द्वारा ग्राम नंदगांव की ग्राम पंचायत विकास योजना का मूल्यांकन किया कि उसमें बच्चों के कितने मुद्दों को शामिल किया गया है और उनके द्वारा कितने मुद्दे आज की गतिविधि के निकाले गये हैं।



ग्राम पंचायत को बालहितैषी बनाने की दिशा में यह गतिविधि बहुत महत्वपूर्ण थी। इससे एक ओर बच्चों को यह जानकारी मिली कि उनकी समस्या के प्रति ग्राम पंचायत भी उत्तरदायी है और बच्चों के हितों में योजनाओं को लागू करना पंचायत की जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच तथा सचिव भी बच्चों के मुद्दों से अवगत हुए।

बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता की पहल

छतरपुर। बाल विवाह हमारे समाज में लम्बे समय से चली आ रही एक बुराई है तथा इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा कानून भी बनाया गया है। किन्तु सिर्फ कानून के सहारे किसी परंपरा को रोकना संभव नहीं है बल्कि उसमें समाज की भी भागीदारी जरूरी है। यह देखा गया है कि आमतौर पर कई लोग अपने बच्चों का विवाह कम उम्र में कर देते हैं। इससे बच्चों के भविष्य के सपने खत्म हो जाते हैं और उन्हें अपने जीवन के विकास का अवसर



नहीं मिल पाता। बालिकाओं की जिन्दगी पर इस का गहरा असर पड़ता है। उस पर घर की जिम्मेदारी आ जाती है और उसकी शिक्षा एवं विकास के रास्ते बंद हो जाते हैं।

अतः समर्थन संस्था द्वारा पिछले दिनों छतरपुर जिले में बाल विवाह पर समुदाय से संवाद कायम करने और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने की पहल की गई। इसके अंतर्गत गांवकृ गांव में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथियों एवं उनकी बिग्रेड टीम को नुक्कड़ नाटक में प्रशिक्षित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसमें लोगों का बताया जा रहा है कि यदि लड़की की शादी कम उम्र में कर दी जाती है तो वह पढ़ाई से वंचित हो जाती है साथ ही कम उम्र में शादी से उसके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वह एनीमिया की शिकार हो सकती है। जिस कारण होने वाले बच्चे आगे चलकर कुपोषण का भी शिकार हो सकते हैं। उसी तरह लड़कों पर भी परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और उनकी भी पढ़ाई छूट जाती है। नुक्कड़ नाटक में बाल विवाह के इन दुष्परिणामों पर चर्चा करते हुए उन्हें कानूनी जानकारी भी दी गई। यह बताया कि लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले और लड़के की शादी 21 वर्ष से पहले करना कानून के अनुसार अपराध है।

गांवों में नुक्कड़ नाटक के प्रदर्शन के बाद दर्शकों से इस विषय पर चर्चा की जाती है। खास बात यह है कि ज्यादातर दर्शक नुक्कड़ नाटक में बाल विवाह रोकने के मुद्दे का समर्थन करते हैं। इस दौरान बाल विवाह नहीं करने तथा बाल विवाह करने वालों को समझाईश देने की शपथ भी

लोगों को दिलाई जाती है। नुक्कड़ नाटक से बाल विवाह पर समुदाय के बीच चर्चा होने लगी और लोगों को जानकारी मिली तथा बाल विवाह के विरुद्ध वातावरण बनाने में भी नुक्कड़ नाटक की अच्छी भूमिका रही है।

पंचायत समाचार

मध्यप्रदेश की ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए सात करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत

भोपाल। पंचायतों में विकास कार्यों हेतु राज्य शासन और वित्त आयोग द्वारा राशि आवंटित की जाती है। इसके अंतर्गत इस वर्ष 7 हजार 828 करोड़ की राशि प्रदेश की ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। यह राशि गत वर्ष की तुलना में एक हजार 49 करोड़ अधिक है। यह जानकारी पिछले दिनों मध्यप्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कही। उन्होंने बताया कि यह राशि ग्राम पंचायतों के माध्यम से व्यय की जाएगी। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों में पंचायत संस्थाओं को पुनः सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में पंचायत राज प्रतिनिधियों को अधिकार-सम्पन्न बनाया गया है। निर्वाचित पदाधिकारियों के विकल्प पर राज्य वित्त आयोग की राशि में भी इजाफा किया गया है। इसके लिए वर्ष 2018 -19 में 406 करोड़ 40 लाख का प्रावधान किया गया था। चालू वित्त वर्ष में यह राशि बढ़ाकर 552 करोड़ 50 लाख कर दी गई है।

ग्राम पंचायत भौरा में स्वच्छता की सामुदायिक पहल

बैतूल। आमतौर पर स्वच्छता से लेकर विकास कार्यों तक लोग सरकार पर निर्भर रहते हैं तथा सरकार भी दायित्व है कि वह विकास कार्यों के द्वारा लोगों को राहत प्रदान करें।



किन्तु इस दिशा में सामुदायिक

पहल का भी अपना विशेष महत्व है। जहां किसी काम के लिए समुदाय द्वारा पहल की जाती है, उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इस संदर्भ में जिले की ग्राम पंचायत भौरा में स्वच्छता के मामले में सामुदायिक पहल सामने आई है। इस ग्राम पंचायत में अपने बल पर दो कचरा वाहन खरीदें। जो पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल है। ग्राम पंचायत ने बिना किसी सरकारी या एनजीओ की मदद के ही 13 लाख के दो कचरा वाहन खरीद लिए हैं, जो कि कचरा ढुलाई में काम आ रहे हैं। खास बात यह है कि इन दो वाहनों के लिए पूरे गांव ने अपना योगदान दिया। इसके कारण अब गांव का जैविक-अजैविक कचरा अलग-अलग तरह से प्रबंधन किया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि भौरा जनपद क्षेत्र में कुल 77 ग्राम पंचायतें हैं लेकिन भौरा कचरा वाहन इस्तेमाल करने वाली पहली ग्राम पंचायत है।

यू मिली अभियान को सफलता

दरअसल जब पंचायत ने गांव को साफ सुथरा बनाने का लक्ष्य बनाया तो इसमें सबसे बड़ी बाधा थी कचरा वाहन नहीं होना। मध्यप्रदेश में अब तक ग्राम पंचायतों को कचरा वाहन देने की कोई योजना नहीं है जिसके चलते यहां जैविक-अजैविक कचरे का प्रबंधन नहीं हो पाता है। ग्राम पंचायत भौरा ने इसके लिए अपने स्तर पर प्रयास शुरू किए। गांव के लोगों से मदद मांगी और उन्हें समझाया तो धीरे-धीरे ही सही पंचायत के पास लगभग 13 लाख रुपये जमा हो गए। अब इससे दो कचरा वाहन खरीदे गए हैं।

ग्राम पंचायत का ये है लक्ष्य

यही नहीं है ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि और आम नागरिक गांव को ओडीएफ करवाने के लिए बिना सरकारी मदद के आगे बढ़ना चाहते हैं। भागवती तुमराम इसके सरपंच हैं तो राजेश नायक ग्राम पंचायत भौरा के उपसरपंच हैं।

ग्राम पंचायतें करेगी वन अधिकार पट्टों का निराकरण

बागली। प्रदेश सरकार द्वारा वनवासियों के हित में नई पहल शुरू की गई है। इसके तहत वन अधिकार मामलों के निराकरण की प्रक्रिया अब पंचायत के माध्यम से ऑनलाइन होगी। इस योजना में पंचायत स्तर पर ग्रामसभा के दौरान ग्राम वन अधिकार समिति का गठन निश्चित किया जाएगा। गठित छानबीन समिति का ग्राम वन अधिकार योजना के तहत ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्राम वन मित्र पोर्टल में पंजीयन भी होगा। आदिवासी व्यक्ति को वन अधिकार अधिनियम के तहत अपने कब्जे पर पट्टे के लिए वन मित्र पोर्टल पर निशुल्क ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फिर इस ऑनलाइन आवेदन पर ग्राम वन अधिकार समिति द्वारा पंजीकृत गांव के स्थल सत्यापन के लिए तिथि तय कर संबंधितों को सूचित भी किया जाएगा। इस प्रक्रिया से वनवासियों को अब भटकना नहीं पड़ेगा और पारदर्शिता भी आएगी। हितग्राहियों के वनभूमि पर कब्जे के दावे और आपत्ति तथा अन्य दस्तावेज ऑनलाइन एमपी वन मित्र पोर्टल पर दिखाई देंगे जिससे वन अधिकार के दावों का परीक्षण और निराकरण आसानी से हो जाएगा।

वाँशबेसिन के साथ जिले में बनेंगे 266 टॉयलेट

महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला पंचायत कटनी की पहल

बेहतर स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है कि स्वच्छता के प्रति बच्चों को भी सजग किया जाए और उन्हें स्वच्छता से संबंधित संसाधन उपलब्ध करवाएं जाएं। इस दिशा में आंगनवाड़ी एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित हो सकती हैं जहां हर रोज बच्चे जाते हैं। आंगनवाड़ी को तो साफकृसुथरा रखना ही चाहिए साथ ही वहां बच्चों के लिए स्वच्छ टॉयलेट भी होना जरूरी है। इस दिशा में कटनी जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिले की 266 आंगनवाड़ियों में टॉयलेट के साथ वाशबेसिन निर्माण की पहल की है जो बच्चों में स्वच्छता की आदत विकसित करने में खास भूमिका निभाएगी।

कटनी। महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला पंचायत कटनी द्वारा स्वच्छता को लेकर जिले में एक खास पहल की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले की आंगनवाड़ियों में बाल टायलेट निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए राशि जारी करते हुए निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार अभी जिले में 266 आंगनवाड़ियों में टॉयलेट निर्माण के लिए 12 हजार रुपए के मान से 31 लाख 92 हजार रुपए जिला पंचायत को जारी कर दिए हैं। अब जनपद पंचायत के माध्यम से टॉयलेट का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा दिया जा रहा है। यानी टॉयलेट का निर्माण करवाने वाली एजेंसी ग्राम पंचायत है। इस काम की मॉनिटरिंग जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा की जाएगी।

इनका कहना है –

बाल टॉयलेट निर्माण के लिए जिला पंचायत को राशि जारी कर दी गई है। एक माह के अंदर जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्माण कराया जाना है। बच्चों की सुविधानुसार टॉयलेट का निर्माण होगा।

कृ नयनसिंह जिला परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग।

सभी 266 ग्राम पंचायतों को बाल टायलेट निर्माण की राशि जारी कर दी गई है एवं संबंधित जनपद

पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं उपयंत्री सहित सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि 21 दिनों के अंदर टॉयलेट तैयार कराएं।

कृ जगदीशचन्द्र गोमेय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत।

अब ग्राम पंचायतों में भी होगी जन सुनवाई

ग्रामीणों को अब समस्या के लिए नहीं जाना पड़ेगा जनपद या जिला मुख्यालय

यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत स्वशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। गांव के विकास से लेकर ग्रामवासियों की समस्याओं को हल करने तक के सभी दायित्व ग्राम पंचायत के हैं। इसके बावजूद ग्रामवासियों के अपनी समस्या के लिए जनपद एवं जिला पंचायत स्तर पर शासन प्रशासन के पास जाना पड़ता है। कई बार लोगों को यह जानकारी नहीं होती है कि किन समस्याओं का समाधान ग्राम पंचायत द्वारा किया जा सकता है और किन समस्याओं लिए जनपद एवं जिला पंचायत तथा प्रशासन तक जाने की जरूरत पड़ती है। ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई होने पर वे अपनी सभी समस्याएं वहां रख सकते हैं। इस दशा में जिन समस्याओं को ग्राम पंचायत द्वारा हल किया जा सकता है वे वहीं हल हो सकती है। अतः ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई के आयोजन की पहल अन्य जिलों की तरह ही शिवपुरी जिले में की गई हैं। यहां इसकी शुरुआत बदरवास जनपद क्षेत्र से की गई है। यहां हर ग्राम पंचायत में हर मंगलवार जन सुनवाई आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिवपुरी। बदरवास जनपद क्षेत्र के ग्रामवासियों को अब अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए जनपद पंचायत या जिला पंचायत तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आम जनता की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत ने एक अनूठी व सराहनीय पहल करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही जन सुनवाई के आयोजन का निर्णय लिया है। जहां ग्रामीणों की समस्या गांव के सरपंच एवं सचिव सुनेंगे तथा मौके पर ही निर्णय करेंगे।

अगर किसी भी ग्राम पंचायत में सुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक अनुपस्थित रहे तो उनके खिलाफ पंचायत स्तर से प्रस्ताव बनाकर जनपद पंचायत कार्यालय भेजा जाएगा जहां उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है। अतः जन सुनवाई में ग्राम पंचायत के सचिव एवं रोजगार सहायक को उपस्थित होना जरूरी है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अनुसार उनके द्वारा जन सुनवाई का आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाएगा।

अन्य राज्यों से

नदी सहेजता एक गांव

सरपंच और ग्रामवासियों ने मिलकर प्रदूषित हो रही यमुना नदी को सहेजने में सफलता हासिल की है।

नदियों के प्रदूषित होने ज्यादातर लोग सिर्फ शासनकृप्रशासन के प्रयासों का इंतजार करते हैं। किन्तु पंचायत और ग्रामवासियों के प्रयास नदी को न सिर्फ प्रदूषण से मुक्त कर सकते हैं बल्कि नदी को सहेज कर गांव की तरक्की में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। हरियाणा के कनाली गांव ने इस दिशा में एक मिसाल कायम की है। यहां सरपंच और ग्रामवासियों ने मिलकर प्रदूषित हो रही यमुना नदी को सहेजने में सफलता हासिल की है।

यमुनगर (हरियाणा)। जिले का एक छोटा सा गांव कनाली आबादी यही कोई 2200 की है। यह गांव भी यमुना के तट पर बसे अन्य गांवों जैसा ही है। फिर भी यह गांव उन गांवों से अलग अपनी पहचान रखता है। नदी को लेकर गांव के लोग कितने संजीदा हैं इसका एक छोटा सा उदाहरण यह है कि इस गांव ने दो साल से अपना गंदा पानी नदी में नहीं डाला। इस पानी को नदी की ओर जाने की बजाय रास्ता दूसरी ओर मोड़ दिया। गंदे पानी से निपटने का यह तरीका बहुत ज्यादा कारगर



नहीं रहा। क्योंकि पानी तेजी से बढ़ रहा था। इस दशा में यदि गंदे पानी की समस्या का समाधान नहीं किया तो एक न एक दिन पानी फिर नदी में चला जाएगा। इस सोच ने ग्रामीणों को परेशान कर दिया। तब ऐसे मौके पर गांव की महिला सरपंच आगे आई। उन्होंने अपने परिवार की एक एकड़ जमीन यमुना नदी के नाम करने की घोषणा की। यह जमीन यमुना की ओर पानी निकासी के रास्ते पर पड़ती है। इस जमीन पर सरपंच ने तालाब बनाने की घोषणा कर दी। इसमें गांव का गंदा पानी जमा होगा। इस तरह से नदी में गंदा पानी नहीं जाएगा और गांव के गंदे पानी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। सरपंच मंजू ने बताया कि यह निर्णय आसान नहीं था। क्योंकि गांव में जमीन को इस तरह से देना बहुत मुश्किल काम था। दूसरा जमीन के सारे निर्णय पुरुष ही लेते हैं। ऐसे में भी परिवार को बनाना बड़ा काम था। लेकिन पति राजकुमार के सहयोग से मुश्किल आसान हो गई। अब चिंता यह है कि जमीन पर जब तालाब बनेगा तो इससे उनके खेतों में सेम की समस्या आ सकती है। इससे निपटने के लिए वे लगातार भू वैज्ञानिकों से संपर्क कर रहे हैं। जिससे इस तरह की समस्या न आए। इधर सरपंच की दरियादिली को देखते हुए ग्रामीणों ने पंचायती जमीन से एक एकड़ जमीन सरपंच को बदले में देने का निर्णय लिया है।

पूरा गांव यमुना के लिए करता है काम

इस गांव की दूसरी अच्छी बात यह है कि पूरा गांव ही यमुना के लिए काम करता है। हथनी कुंड बैराज जो कि इस गांव से मात्र 15 किलोमीटर दूर है। यहां यमुना नदी का सारा पानी रोक लिया जाता है। इस पानी को यूपीए दिल्ली और हरियाणा में बराबर हिस्से में बांट लिया जाता है। इसके आगे यमुना सूखी रहती है। करीब सात किलोमीटर दूर आगे चलने के बाद यमुना नदी की सहायक नदी सोम नदी है। इसका पानी दोबारा से यमुना को जिंदा करता है। यह पानी बहुत ही कम है। इतना भर कि बस यमुना में पानी की उपस्थिति भर बनी रहे। अब इस पानी में भी यदि प्रदूषित पानी आ जाए तो नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो सकती थी। यहीं वजह थी कि इस गांव के लोगों ने अपना गंदा पानी नदी में जाने से रोक रखा था। हालांकि इससे पहले पांच गांव और पड़ते हैं। इनका गंदा पानी भी नदी में जाता था। इस पानी का रास्ता भी बदल कर दूसरी ओर कराया गया है। जिससे नदी में गांवों का गंदा पानी नहीं जाता। कनालसी के ग्रामीण यमुना नदी से इतना प्यार करते हैं कि साल में एक बार नदी के नाम पर उत्सव मनाते

हैं। नदी के किनारों पर पौधा रोपण करते हैं। उनकी खुद देखभाल करते हैं। इस वजह से यमुना नदी का जो रूप यहां देखने को मिलता है वह दिल्ली तक दूसरी किसी जगह दिखाई नहीं देता।

जैविक खेती को दे रहे बढ़ावा

यमुना जियो अभियान के अध्यक्ष कनालसी निवासी राणा किरण पाल ने बताया कि उनकी कोशिश है कि यमुना नदी के किनारे के किसान जैविक खेती करें। इससे नदी में कीटनाशक नहीं जाएंगे। जैविक खेती होने से यहां जीव जंतुओं को भी अच्छा माहौला मिलेगा। उन्होंने बताया कि शुरुआत में अब तकरीबन 20 किसान यमुना के साथ लगते अपने खेतों में रसायनिक खाद और कीटनाशक नहीं डालते हैं। यदि बाजार से उन्हें उचित सहयोग मिला तो यह रकबा बढ़ भी सकता है।

मिसाल बनेगा यह निर्णय

कनालसी निवासी और यमुना के लिए काम कर रहे अनिल राणा ने बताया कि सरपंच का यह प्रयास मिसाल बनेगा। अभी तो हालात यह हैं कि यमुना नदी में यमुनागर एकरनाल ए पानीपत ए सोनीपत और दिल्ली के सीवर का पानी बह रहा है। इस पानी को रोकने के लिए प्रयास होने चाहिए। उनके गांव ने एक उदाहरण पेश किया है। इसी तरह का उदाहरण अब दूसरी जगह से भी हो तो यमुना नदी साफ सुथरी हो सकती है। उन्होंने बताया कि नदी में पानी की कमी है। यह तो सब जानते हैं। अब पानी तो आएगा कहां से? हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में हमें विकल्प पर ही विचार करना होना। इस दिशा में यदि नदी में गंदा पानी आने से रोक लिया जाए तो पानी की शुद्धता बहुत हद तक बरकरार रखी जा सकती है। यह संभव है और इस दिशा में उनके गांव ने उदाहरण पेश किया है। अब इस तरह का प्रयास दूसरी जगह भी होना चाहिए।

शिक्षा के लिए सरपंच ईश्वरलाल की पहल

सिणधरी (राजस्थान) का आमतौर पर यह कहा जाता है कि ग्राम पंचायत और ज्यादातर सरपंच अपनी पंचायत में निर्माण कार्यों को ही प्राथमिकता देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका पर उनका विशेष जोर नहीं होता है।

राजस्थान की सिणधरी पंचायत के सरपंच ने इस मामले में अनूठी मिसाल पेश की है। उनका मानना है कि पंचायत को शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा यदि विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी संसाधन और किताबें आदि उपलब्ध करवाई जाए तो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मदद मिलेगी।



अपने इस विचार को जमीनी स्तर पर लागू करते हुए सरपंच ईश्वरलाल ने 5 साल के कार्यकाल के दौरान मिले पूरे मानदेय को ग्राम पंचायत की सरकारी स्कूलों को दान कर दिया। सरपंच प्रजापत ने स्वतंत्रता दिवस पर हुए समारोह में गांव के हायर सेकेण्डरी स्कूल के 600 विद्यार्थियों को 1 लाख 50 हजार रुपये के स्कूल बैग वितरित किए। इसके साथ ही प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बोर्ड की कक्षाओं पांचवीं, आठवीं, दसवीं एवं बारहवीं में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कक्षा दसवीं एवं बारहवीं में 75 प्रतिशत वाले 9 विद्यार्थियों को 11 सौ रुपये के बैंक प्रदान किए। इसके साथ ही ग्राम पंचायत में स्थिति शालाओं में शतप्रतिशत परिणाम देने वाले एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले 30 शिक्षकों को आफिस बैग, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य चौथाराम प्रजापत का उत्कृष्ट प्रयासों के लिए ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

महिला हितैषी पंचायत की प्रणेता है सरपंच कविता

अपने कामों से पेश की मिसाल। बनाई वुमन फ्रेंडली पंचायत

उदयपुर (राजस्थान)। जमीनी राजनीति में अच्छे लोगों की दरकार है जो सिर्फ कर्मठता से ही काम न करें बल्कि सभी लोगों को साथ लेकर सभी की सहभागिता से महिलाओं एवं समाज के वंचित तबकों के हित में फैसले लें।

राजस्थान के उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत शोभागपुरा की सरपंच कविता जोशी ने इसी तरह की भूमिका निभाई हैं मल्टी नेशनल कंपनी में इंजीनियर की नौकरी छोड़कर कविता राजनीति



में यही सोचकर आई कि उसे लोगों की मदद करती है। आज इसी काम में वह तन्मयता से जुड़ी हुई है। कविता जोशी को यंग लिट्रेट सरपंच के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है वहीं हाल ही में उन्होंने राजस्थान को प्रतिनिधित्व करते हुए उड़ीसा में महिला सशक्तिकरण पर हुई कार्यशाला में भाग लिया।

सरपंच कविता जोशी के कामकाज और महिलाओं के हितों में किए गए कामों की विशेष रूप से सराहना की जाती है। इस ग्राम पंचायत की सरपंच बनने के बाद कविता जोशी सबसे पहले महिलाओं को घरों से बाहर लाई। उन्हें आत्मरक्षा के तरीके सिखाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस शिविर में गांव की बच्चियों से लेकर बहुओं तक तक आत्मरक्षा के तरीके सीखे। यही नहीं बेटियों को शिक्षित बनाने के लिए कविता गरीब तबके की बच्चियों की पढ़ाई का खर्च भी उठाती है। वह खुद इन बच्चों को पढ़ाती है। गांव के विकास के लिए दिनरात दौड़क भाग करने के साथ ही कुछ नया करने की मन में ठानकर काम किया जाता है। उनके प्रयासों से शोभागपुरा पंचायत को वुमन फ्रेंडली पंचायत का दर्जा दिया गया। इस पंचायत में अब पुरुषों

से ज्यादा महिलाएं अपने हम के लिए पैरवी करती हैं। उदयपुर जिले की तमाम ग्राम पंचायतों में शोभागपुरा पंचायत नजीर के तौर पर देखी जाती है।

सरपंच कविता ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई समूह तैयार करवाकर काम किया।

पेज 8

विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल की गई सरपंच की कहानी

सरपंच रितु पांचाल के कार्य महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए मिसाल बन रहे हैं। ग्राम पंचायत भिड़ावद की सरपंच रितु पांचाल द्वारा गांव की बेहतरी के लिए किए।

उज्जैन। जिले के बड़नगर क्षेत्र की भिड़ावद पंचायत में एमबीए पास युवा सरपंच द्वारा गांव की बेहतरी के लिए किए कार्य महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गए। सामाजिक कार्य विषय में द्वितीय वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम में इस सरपंच की उपलब्धियों को पढ़ाया जा रहा है।

ग्राम पंचायत भिड़ावद की सरपंच रितु पांचाल ने पंचायत के अधीन तीन गांवों में समग्र विकास के लिए अनेक कार्य किए जिन्हें प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए विवि स्नातक कोर्स के पाठ्यक्रम में स्थान मिला। सामुदायिक नेतृत्व में विशेषज्ञता “अध्याय के रूप में



द्वितीय वर्ष के महिला विकास व सशक्तीकरण (माइयूल-11 में उनकी प्रेरणादायी कहानी शामिल की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम के तहत समाज कार्य में स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययनरत् प्रदेशभर के सैकड़ों छात्र उसे पढ़ रहे हैं

रितु पांचाल की जिन उपलब्धियों को पाठ्यक्रम में गिनाया गया है उनमें ग्रामीणों के सहयोग से सीमेंट-कंक्रीट सड़क बनाने सभी घरों में नलों से पेयजल उपलब्ध कराने के अलावा प्रदेश का पहला खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गांव घोषित किए जाने का दावा भी किया गया है। दो साल पहले तैयार माइयूल में सरपंच की तब की भावी कार्ययोजना के तहत गांव में वाई-फाई सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट लगाने ई-समाधान केंद्र व ई-पंचायत सुविधा मुहैया कराने का उल्लेख भी है। रितु ने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से फाइनेंस में प्रबंधन की स्नाकोत्तर उपाधि (एमबीए) पाई है।

रितु कहती हैं शासन की नीतियों के तहत ही पंचायत के तहत आने वाले गांवों के रहवासियों को सुविधाएं दिलाई हैं। कई योजनाओं के लिए मुझे किसी अधिकारी के पास नहीं जाना पड़ा। कई सुविधाएं ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाती हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति को काम करने के लिए कुशलता हासिल करनी चाहिए।

सरपंच गांव की बेटियों और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा

उप सरपंच हरिसिंह गोयल कहते हैं सड़क बिजली पानी की व्यवस्था से लेकर स्कूलों में तार फेंसिंग और आंगनवाड़ियों के निरीक्षण तक, सब कुछ व्यवस्थित हो गया। सरपंच के पढ़े लिखे होने से अफसर भी अब हमारी समस्याएं सुनते हैं। हमारी सरपंच गांव की बेटियों और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है।

- सड़क बिजली पानी की व्यवस्था से लेकर स्कूलों में तार फेंसिंग और आंगनवाड़ियों का निरीक्षण होने लगा। सरपंच के पढ़े-लिखे होने से अफसर भी अब हमारी समस्याएं सुनते हैं। वे गांव की बेटियों और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं। - **हरिसिंह गोयल** उपसरपंच **भिड़ावद**
- हमारे गांव में पहले पक्की सड़क नहीं थी। बारिश के दिनों में परेशानी होती थी। सरपंच ने इसका प्रोजेक्ट सेक्शन करवाया है। अब गांव में भी सड़क बनेगी। - **भरत सिंह राठौर** ग्रामीण

बेटी की शादी उसी घर में करेंगे जहां शौचालय बना होगा

ग्राम पंचायत गोदिका का ऐतिहासिक फैसला

सरसा (हरियाणा)। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरसा जिला के डबवाली उपमंडल के गांव गोदिका की ग्राम पंचायत ने खुले में शौच से बेटियों को मुक्ति दिलाने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पास कर निर्णय लिया है कि जिस



घर में शौचालय नहीं होगा वे उस गांव में अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। यही नहीं इसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया।

पंचायत के इस फैसले के बाद गांव की महिलाएं और बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। खुले में शौच से मुक्त करने के लिए पंचायत का फैसला काफी हद तक कारगर साबित होगा। खुले में शौच जाने से गंदगी फैलती है जिससे तरह-तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। जिला में यह शायद पहली ग्राम पंचायत होगी जिसने अनूठी पहल शुरू की है।

ग्रामीणों ने पंचायत के फैसले का किया स्वागत

ग्राम पंचायत के इस फैसले का ग्रामीणों ने भी स्वागत किया है जहाँ गाँव की होनहार बेटियों ने भी पंचायत का भरपूर सहयोग देने की बात कही गाँव की बेटियों ने बताया कि वे बेहद खुश हैं उनकी गाँव की पंचायत ने ऐसा कदम उठाया है। उनकी सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा उठाया है जिससे अब वे पराये घर जाकर भी सहज महसूस कर सकेगी। शादी के समय वह अपने माता पिता से यह शर्त रखेगी की जहाँ भी उनकी शादी हो वहाँ शौचालय का प्रबंध जरूर हो।

यह फैसला ग्राम पंचायत द्वारा मीटिंग कर सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित कर पेश किया गया है। गांव के मुख्य स्थानों की दीवारों पर इस संदेश का बैनर लगवाये जायेंगे ताकि आमजन इसके प्रति जागरूक भी हो सकें और अपनी बेटी की हिफाजत खुद कर सके और बेटी को शौच के लिए घर से बाहर खुले में नहीं जाना पड़े।